District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui

SC/ST Case no. 30 of 2022

Laxmipur (Gidhaur) Sc.St. P.S. Case No.- 342/2021)

Date of Judgement : 03-08-2026

State of Bihar through informant Reshmi Devi Vs. Dharmendra Yadav & others

बिहार राज्य द्वारा सूचिका रेशमी देवी

बनाम

1. **धर्मेन्द्र यादव,** उम्र 45 वर्ष, पिता–सीता यादव,
2. **योगेन्द्र यादव,** उम्र 48 वर्ष, पिता–सीता यादव,
3. **रंजीत यादव,** उम्र 44 वर्ष, पिता–सीता यादव,
4. **टाइगर यादव उर्फ छोटेलाल यादव** उम्र 34 वर्ष, पिता–कारू यादव,
5. **सीता यादव उर्फ सीतो यादव** उम्र 70 वर्ष, पिता–बुधु यादव,
6. **कारू यादव,** उम्र 60 वर्ष, पिता–स्व0 कोधो यादव,
7. **जितेन्द्र यादव,** उम्र 34 वर्ष, पिता–जदराज यादव,
8. **बिपिन यादव,** उम्र 25 वर्ष, पिता–योगेन्द्र यादव,
9. **विक्की यादव,** उम्र 23 वर्ष, पिता–धमेन्द्र यादव,

सभी निवासी ग्राम–छेदलाही, थाना–गिद्धौर, जिला–जमुई।

आरोप भा0द0वि0 की धारा 341/149, 323/149, 324/149, 307/149, 504/149, 379/149 एवं 147 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत

अभियोजन पक्ष की ओर से– **श्री मनोज कुमार दास, विद्वान विशेष लोक अभियोजक**

बचाव पक्ष की ओर से– **श्री कृष्णा कुमार पुरैयार, विद्वान अधिवक्ता**

दिनांक :–03.08.2026

निर्णय

1. कांड की सूचिका रेशमी देवी पति–रवि तांती के द्वारा थानाध्यक्ष, लक्ष्मीपुर (गिद्धौर) थाना को दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर लक्ष्मीपुर (गिद्धौर) थाना में यह कांड प्राथमिकी संख्या–342/2021 के रूप में भा0द0वि 147, 148, 341, 323, 324, 307, 379, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r)(s) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए यह कांड दर्ज हुआ तथा अनुसंधान उपरान्त अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिकी के अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 132/2022, भा0द0वि 147, 148, 149, 341, 323, 324, 307, 379, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण)

अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए समर्पित किया। परिणामस्वरूप इस मामले में उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त अपराध के करने के लिये संज्ञान लिया गया।

2. कांड के सूचिका रेशमी देवी पति–रवि तांती द्वारा थानाध्यक्ष, थाना गिद्धौर को दिये गये लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक–16.10.2021 समय करीब 09:00 बजे सुबह में उसका पति अपने खेत में हल जोत रहा था तभी उसके गॉव के धमेन्द्र यादव, योगेन्द्र यादव, रंजीत यादव, टाइगर यादव उर्फ छोटेलाल यादव, सीता यादव, कारू यादव, जितेन्द्र यादव, विपिन यादव, विक्की यादव सभी गाली गलौज करते हुए, उसके खेत में आये और धमेन्द्र यादव, टाइगर यादव, योगेन्द्र यादव ने गाली देते हुए कहा ''मादरचोद तुमलोग को जब से हरिजन का दर्जा मिला है, मन बढ़ गया है। पान जाती के तो वह मुँह से चिवा जाता है'' यह कहते हुए धर्मेन्द्र यादव ने तलवार से उसके पति रवि तांती को जान मारने के नियत से तलवार से वार किया, जो माथे पर लगा, जिससे रवि तांती का माथा फट गया और वह वही गिर गया। टाइगर यादव के हाथ में रड था, उसने उसकी गोतनी शैला देवी को रड से मारने लगा, तभी उसका देवर उमेश तांती दौड़कर उसे बचाने आया तो टाइगर यादव उर्फ छोटेलाल यादव ने उमेश तांती को मारा, जिससे उसका हाथ फट गया। सीता यादव, कारू यादव, विपिन यादव, जितेन्द्र यादव, रंजीत यादव, विक्की यादव सभी मिलकर उसके भैंसूर नरेश तांती को लाठी, डंडा से मारा तथा गाली गलौज देते हुए बोला कि साला, मादरचोद तांती को मार दो, इसका बहुत मन बढ़ गया है। उसकी कान में सोने की बाली 5 ग्राम का एवं गोतनी के गले में सोने के लॉकेट 7 ग्राम का था, उसे सीता यादव एवं रंजीत यादव ने खींच लिया। जब हल्ला होने पर वह गई तो उसने अपने पति रवि तांती को जमीन पर बेहोशी की अवस्था में देखा। विपक्षी घटनास्थल से भाग गया और उन्हीं के लोगों ने धर्मेन्द्र यादव एवं छोटेलाल यादव को चोटील कर दिया।

3. उपरोक्त नामित अभियुक्तों के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.04.2024 को भा0द0वि0 की धारा 341/149, 323/149, 324/149, 307/149, 504/149, 379/149 एवं 147 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये आरोप का गठन कर आरोप को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया एवं विचारण की माँग की।

4. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए चार साक्षियों 1. बाबुलाल तांती, 2. प्रमोद तांती, 3. मिथुन कुमार, 4. रेशमी देवी (सूचिका) का साक्ष्य

करवाया गया है।

5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध अभिकथन (Statement) में अभियुक्तों ने घटना से इंकार किया है एवं स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

मंतव्य (Findings)

6. **अभियोजन साक्षी संख्या 1. बाबूलाल तांती, 2. प्रमोद तांती, 3. मिथुन कुमार** ने अपने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। पुलिस के समक्ष बयान नहीं हुआ था। फलतः अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही (Hostile) घोषित किया जाता है।

7. **अभियोजन साक्षी संख्या 4 रेशमी देवी** ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि यह केस उसने किया है। घटना वर्ष 2021 की है। उसके पति हल जोत रहा था तो उसके पति के साथ अभियुक्तों ने गाली गलौज एवं मारपीट किया गया। आज अभियुक्तगण धमेंद्र यादव, सीता यादव, न्यायालय में उपस्थित है, जिसे पहचानती है एवं अन्य को देखकर पहचान लुंगी। **प्रति परीक्षा** में साक्षी ने कथन किया है कि किसने मारा नहीं देखी। गलतफहमी में अभियुक्तों पर मुकदमा हो गया था। अभियुक्तगण ग्रामीण है इसलिए पहचानती है। अभियुक्तगण निर्दोष हैं।

8. इस मामले में अवधारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष इस मामले में उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 341/149, 323/149, 324/149, 307/149, 504/149, 379/149 एवं 147 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने के आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

9. मैंने उभय पक्षों की पूर्ण बहस सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1, 2, एवं 3 ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि वह घटना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। फलतः विद्वान लोक अभियोजक के अनुरोध पर तीनों साक्षियों को पक्ष द्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन साक्षी सं0–4 रेशमी देवी, जो इस कांड की सूचिका है, ने अपने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि **किसने मारा नहीं देखी तथा गलतफहमी में अभियुक्तों पर यह मुकदमा हो गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि इस मामले में सूचिका के पति रवि तांती का साक्ष्य नहीं हुआ है।** इन सभी तथ्यों के आधार पर मैं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता से इस तर्क से पूर्णतः सहमत हूं कि अभियोजन पक्ष उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध इस मामले में लगे आरोप भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 324, 307,

504, 147, 149, 379 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के अभियोग को सभी युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः

आदेश

उपरोक्त तर्क एवं विवेचनाओं तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण **1. धमेन्द्र यादव, 2. योगेन्द्र यादव, 3. रंजीत यादव, 4. टाइगर यादव उर्फ छोटेलाल यादव 5. सीता यादव 6. कारू यादव, 7. जितेन्द्र यादव, 8. विपीन यादव एवं 9. विक्की यादव** को उनके विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 324, 307, 504, 147, 149, 379 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा उसे एवं उसके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है।

मेरे द्वारा उद्घोषित लेखापित एवं
शुद्धित

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई।
दिनांक–03.08.2026

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक–03.08.2026